II-3-(ii) उपलब्ध

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
19 NOV 1969
GOVERNMENT OF INDIA

सं० 370] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 30, 1969/कार्तिक 8, 1891

No. 370] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 1969/Kartika 8, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY

(Department of Foreign Trade)

ORDER

New Delhi the 30th October 1969

S.O. 4433.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 3548, dated the 17th December, 1963, read with the Orders of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 4205, dated the 22nd November, 1968 and the Ministry of Foreign Trade and Supply S.O. No. 741, dated the 20th February, 1969, the management of the whole of the industrial undertaking known as the Bengal Nagpur Cotton Mills Ltd., Rajnandgaon, had been taken over by the Managing Agents referred to in the Order first mentioned above for a period upto and inclusive of the 16th December, 1969:

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Managing Agents should continue for a further period upto and including the 1st April, 1970;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order first mentioned above shall continue to have effect for a further period upto the 1st April, 1970.

[No. F. 9/1/69-Tex(G).]

DEVINDAR NATH, Jt Secy

विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय

(विदेशी व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1969

एस० ओ० 4434 :—यतः भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 4205 तारीख 22 नवम्बर, 1968 और विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय के का० आ० सं० 741 तारीख 20 फरवरी, 1969 के साथ पठित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3548 तारीख 17 दिसम्बर, 1963 द्वारा दि बंगाल नागपुर काटन मिल्स लिमिटेड, राजनन्दगांव नामक समस्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उपरिवर्णित अंतिम आदेश में निर्दिष्ट प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं द्वारा 16 दिसम्बर, 1969 तक के लिये जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, ग्रहण कर लिया गया था;

और तथः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण 1 अप्रैल, 1970 तक, जिसमें 1 अप्रैल, 1970 की तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिये और बना रहना चाहिए;

अतः, अब, औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उपरिवर्णित अंतिम आदेश का प्रभाव 1 अप्रैल, 1970 तक की आगामी अवधि के लिये और बना रहेगा ।

[सं० फा० 9(1)/69-टेक्स (जी)]

देविन्दर नाथ, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969